THE DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. Now I have to take up special mentions. (*Interruptions*). I am not giving permission today.

श्री राम नरेश यादव :*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know. Tomorrow we will discuss it, not today.

नहीं, नहीं, परमिशन नहीं, बैठिए। ... **(व्यवधान)**

RE. A MOTION OF PRIVILEGE

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं अपने प्रिविलेज मोशन के बारे में जानकारी चाहता हूं। मैंने एक प्रिविलेज मोशन 25 तारीख की घटना के बारे में 26 तारीख को दिया था। सदन में चेयर की ओर से जानकारी दी गई थी कि उसको टिप्पणी के लिए पुलिस को भेजा गया है। आज 26 से लेकर इतने दिन हो गए हैं, मुझे जानकारी नहीं मिली है।...

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इनको ..**(व्यवधान)**

उपसभापति : वह प्रिविलेज का मामला है, आपको मालूम है। आप सीनियर मेंबर हैं हाउस के, प्रिविलेज के मामले उठाए जाते हैं हाउस के अंदर... **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरे प्रिविलेज मोशन का क्या हुआ, यह मैं जानकारी चाहूंगा। 26 तारीख को गया हुआ है आज तक पुलिस की रिपोर्ट आई नहीं आई, क्या हुआ मुझे जानकारी देने की कृपा करें।

*Not recorded.

उपसभापति : मैं मालूम करके बताऊंगी। कमेंट्स के लिए पुलिस के पास भेजा है, जैसे ही आएगा, मैं बता दूंगी। स्पेशल मेंशन, श्री सुरेश पचौरी।

SPECIAL MENTIONS

Mysttrious Disappearance of Original Ram Lalla Idol at Ayodhya

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे प्रकरण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह अयोध्या में रामलला का मामला है। अयोध्या में विवादित स्थल में सन् 1949 से स्थापित रामलला व उनके साथ की अत्यंत बहुमूल्य मूर्तियां गायब हैं और वहां नकली मूर्तियां रखकर लोगों के दर्शन कराए जा रहे हैं। 72 से 92 तक रामलला की पूजा अर्चना करने वाले महंत लालदास ने यह रहस्योद्घाटन किया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) पीठासीन हुई]

महोदया, मेरा कहना यह है कि महंत भास्कर दास जिन्होंने वास्तविक राम लला की चोरी होने का और अन्य बहुमूल्य मूर्तियों के चोरी होने का रहस्य खोला है यदि वे गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि उनकी बात में कोई दम है तो निश्चित रूप से सरकार इस बारे में पहल करे। इसकी जांच करे और जांच के बाद जो दोषी पाये जायें उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक रूप से करे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह यह है...

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं यदि आप इजाजत दें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उनका यह स्पेशल मेंशन है। इस पर आपको क्या पूछना है?

श्री चतुरानन मिश्र : दुनिया भर में जब चोरी होती है तो राम लला से कहते हैं कि रक्षा कीजिए। जब राम लला की ही चोरी हो जाती है तो उनके चोर को पकड़ने के लिए किस के पास जायेंगे? यह जरा पूछना था।

श्री सुरेश पचौरी : मैं यह कहना चाहता हूं...

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : आपने जो प्वाइंट उठाया है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट से मैं जानकारी हासिल करूंगा।

श्री सुरेश पचौरी : मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस गम्भीर मसले पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बातें हैं।

महन्त लाल दास ने 7 फरवरी को पत्रकार सम्मेलन में गायब हुई मूर्तियों का विवरण देते हुए कहा था कि इस में चार मूर्तियां श्री राम लला सहित चारों भाइयों की, 9 सालिगराम, अष्ट धातु की, 9 मूर्तियां मूंगे पत्थर की बनी, 3 गणेश जी की मूर्तियां, दो सोने के राम पंचायत सिक्के, जिन पर पूरा राम परिवार अंकित था यहां विराजमान थीं। ये सब की सब गायब हो चुकी हैं। इसके अलावा वहां राम चबूतरे पर अष्ट धातु की लगभग एक दर्जन मूर्तियां, चांदी की कौशल्या मूर्ति जिसमें भगवान राम लला कौशल्या जी की गोद में थे, जावन्त की कसौटी की मूर्ति, दाहिनी वृति शंख, श्री नारायण की दो मूर्तियां, हनुमान की दो मूर्तियां सब की सब लापता हैं।

श्री राम दास अग्रवाल (राजस्थान) : क्या यह राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है?

श्री सुरेश पचौरी : यह हस्तक्षेप नहीं जो आप झूठे धार्मिक बनते हैं और उ आप पर आरोप लगाया गया है मैं उसक उल्लेख कर रहा हूं।

महन्त लालदास का यह कहना है कि गत 6 दिसम्बर को ढांचा ढहाए जाने पहले उन के मुताबिक यह मूर्तियां प्रात ही वहां से हटकर मानस भवन ट्रस्ट कमरा नम्बर 42 में जहां विश्व हिन्द परिषद के लोगों को रखा गया था वह रख दी गई। इसके साथ ही महन्त भास्कर दास जो अयोध्या के संत हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि इन मूर्तिय को विश्व मार्किट में करोड़ों दामों से बेच जाने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्हों तीन संदिग्ध लोगों के नाम इसमें बताय हैं जो विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त हैं। उनके नाम हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) यहां नाम मत लीजिए। जो लोग अपन आप को डिफेंड नहीं कर सकते उनके नाम नहीं लिये जाते।

श्री सुरेश पचौरी : नामजद रिपोर्ट है जिनके नाम हैं उनका उल्लेख करना कोई गैरवाजिब नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) आप नाम नहीं लीजिए।

श्री सुरेश पचौरी : जिनका उल्लेख है उनमें धर्म दास, विद्या सागर और सुभाष दास है। वैसे अभी तक इन चोरी गई मूर्तियों के ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। महंत भास्कर दास खुद लगभग 60 वर्षों से अयोध्या में भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना कि जब कार सेवकों ने इमारत गिराई तो उस परिसर में स्थित राम चबूतरा चरणचिहन छठी पूजन स्थल तथा पंच मुक्तेश्व गणेश जी आदि मंन्दिरों को भी ध्वस्त कर डाला। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि यद्यपि गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे इसकी जांच करेंगे कि मूर्तियां चोरी हुई हैं या नहीं। इसके साथ-साथ यह भी जांच

करेंगे कि किन मंदिरों को कार सेवकों ने ध्वस्त किया था और जब ढांचा ढह रहा था तो मलबे से कौन-कौन सी मूर्तियां बरामद हुई हैं, उसका भी उल्लेख करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो लोग पहले से उन मूर्तियों के दर्शन कर चुके हैं उनका कहना है कि पहले मूर्तियां बैठी हुई थी, लेकिन अब राम लला की मूर्ति खड़ी हुई है । इसलिए एक महन्त ने यहां तक कहा है कि वे बताने के लिए तैयार हैं कि पुरानी मूर्तियां, ओरिजिनल राम लला की मूर्ति कहां रखी गई है । तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि उस महन्त से क्यों नहीं पूछताछ की जाती है कि वे मूर्तियां कहां रखी गई हैं ? यदि यह आरोप गलत है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए और यद्यपि उन्होंने यहां तक भी कहा है कि कार सेवकों ने विजय पताका के रूप में मूर्तियां श्री लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दी हैं । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वे इसकी जांच करेंगे अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री सुरेश पचौरी : : नहीं, नहीं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं कह रही हूं कि अब आप समाप्त कीजिये, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, । विशेष उल्लेख का कोई समय सीमित होता है ।

श्री सुरेश पचौरी : मैं स्पेशल मेंशन के ही अन्तर्गत बोल रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं आपसे यही कह रही हूं कि स्पेशल मेंशन का समय भी निश्चित होता है ।

श्री सुरेश पचौरी : आरोप लग रहे हैं इसलिए दर्द हो रहा है । इसलिए मुझे बोलने से न रोका जाए ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, राम लला की प्रतिमाओं के लिए सारे देश में दंगें हुए . . . (**व्यवधान**) मैं भी इस में अपने आप को एसोसिएट करूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप यहां पर नहीं थे, गृह मंत्री जी ने कहा है कि वे इस मामले की जांच करेंगे ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : महोदया, जब भी सदन में कोई सीरियस मामला उठा है तो आपने सदन में खुद ही देखा होगा कि जब कभी कोई महत्वपूर्ण मामला उठा है तो स्पेशल मेंशन पर डिसकशन हुई है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप बैठिये । आप सदन में नहीं थे । अभी यह मसला शुरु ही हुआ था कि गृह मंत्री जी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि वे इसकी जांच करवायेंगे । यह आश्वासन सरकार का आ चुका है तो विशेष उल्लेख चोरी के बारे में है ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, जब गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था तो उस वक्त राम लला की मूर्तियों की चोरियों का मसला उठा था । अन्य सामग्री और अन्य कीमती सामग्री की चोरी का जिक्र बाद में आया था ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आपका विशेष उल्लेख राम लला की मूर्ति की चोरी के बारे में ही है । इसलिए आप वहीं तक अपनी बात सीमित रखिये ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जानी चाहिए और इस बारे में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या 6 दिसम्बर को वहां से राम लला की मूर्तियां और अन्य मूर्तियां और अन्य कीमती चीजें जो बाहर गई हैं या वहां से हटाई गई हैं, क्या उनकी जगह पर वहां पर डुप्लीकेट मूर्तियां रखी गई हैं ? यदि ऐसा है तो असली मूर्तियां किस के कब्जे में हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही

[श्री सुरेश पचोरी]

की जानी चाहिए और जिन लोगों के खिलाफ मूर्तियां चुराने की बात नामजद रिपोर्ट में की गई है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : श्री सुरेश पचौरी जी ने जो मामला उठाया है उसका मैं समर्थन करते हुए सरकार से एक मांग यह भी करता हूं कि जैसा पता लगा है, जिस वक्त मस्जिद की बिल्डिंग गिराई गई उस वक्त मूर्तियां टूट गई । चोरी की बात तो बाद में आती है । दूसरी जगह से दूसरी मूर्तियां वहां पर लाई गईं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि वाकई यह घटना सच है... (**व्यवधान**)

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : वे कहते हैं कि मूर्तियां चुराई गई और आप कहते हैं कि मूर्तियां टूट गई ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : चोरी का मामला इसलिए है कि मूर्तियां उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये मूर्तियों की चोरी का मामला दर्ज किया गया है । पर घटना यह है कि मूर्तियां तोड़ी गई हैं और उनकी जगह दूसरी मूर्तियां रखी गयी हैं । यह गंभीर मसला है । हिन्दुओं के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया गया है । यह बहुत बड़ा फ्राड खेला जा रहा है । इस फ्राड को एक्सपोज करने की जरुरत है । इस पर पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए और बताना चाहिये कि इसके लिये कौन जिम्मेदार लोग हैं, जिनके कारण ये मूर्तियां टूटीं और मूर्तियां वहां से हटायी गई और गलत तरीके से इमीटेशन मूर्तियां लगाई गई हैं । इसकी पूरी जांच होनी चाहिए ।

श्री रामनरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, पचौरी जी ने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और आग्रह किया है कि सरकार इसकी जांच करे ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आपने एशोसिएट कर लिया, हो गया ।

श्री राम नरेश यादव : मेरा आग्रह है कि इस गंभीर प्रश्न पर सरकार जानकारी प्राप्त करे और सदन को अवगत कराये कि वस्तुस्थिति क्या है ।

डा० जितेन्द्र कुमार जैन (मध्य प्रदेश) : अहलुवालिया जी की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि गंभीर बात है । लेकिन गंभीरता इस बात की है कि प्रभु श्रीराम के मंदिर को बनाने में कांग्रेस किस प्रकार का व्यवधान डाल सकती है, इसका एक नया नमूना यहां इन्होंने इस सदन में पेश किया है । ...(**व्यवधान**)...

Need to amend the Motor Vehicles Act, 1988

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): I want to bring an issue connected with the need to amend the Motor Vehicles Act to the notice of the Government. The Motor Vehicles Act, 1939, was replaced by introduction of the Motor Vehicles Act, 1988, in which Section 166 was introduced. It qualifies the persons who can file an application for getting compensation under that Section. That Section says:

> "An application for compensation arising out of an accident of the nature specified in sub-section (1) of section 165 may be made—
>
> (a) by the person who has sustained the injury; or
>
> (b) by the owner of the property; or
>
> (c) where death has resulted from the accident, by all or any of the legal representatives of the deceased...."

But the most important part of this particular Section, for which I am making this particular submission through the Special Mention, is that section 166 sub-section (3); which says:

> "No application for such compensation shall be entertained unless